RISING RAJASTHAN

Azadi Ka Amrit Mahotsav

राजस्थान सरकार

न्यायालय जिला कलक्टर, बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : सुशील कुमार, आई0ए0एस0

पंचायत निगरानी प्रार्थना पत्र सं. 04/2024

प्रार्थी–

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र समदड़ी जरिये प्रभारी प्रमुख विशेषज्ञ डॉक्टर शिवमंगल नागल पुत्र श्री लुणकरण नागल हाल निवासी समदड़ी, तहसील समदड़ी, जिला बालोतरा।

बनाम

अप्रार्थीगण–

1. सरपंच, ग्राम पंचायत समदड़ी, तहसील समदड़ी।
2. राजस्थान पेंशनर समाज विश्राम घर उप शाखा समदड़ी, जरिये अध्यक्ष नेनसिंह राजपुरोहित, कार्यालय समदड़ी।

निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 विरूद्ध पट्टा संख्या 02 दिनांक 28.06.2023 जो अप्रार्थी सं. 2 के नाम ग्राम पंचायत समदड़ी द्वारा जारी किया गया।

उपस्थिति :–

1. श्री कैलाश पुरी, अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. श्री कपिल श्रीमाली, अप्रार्थी सं. 2 की ओर से उपस्थित।
3. अप्रार्थी सं. 1 बावजूद नोटिस तामील अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांक :19.11.2024

1. प्रार्थी की ओर से यह निगरानी प्रार्थना पत्र ग्राम पंचायत समदड़ी द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 के नाम जारी पट्टा संख्या 02 दनांक 28.06.2023 के विरूद्ध दिनांक 03.07.2024 को इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

2. प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना–पत्र के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि अप्रार्थी संख्या 01 ग्राम पंचायत समदड़ी द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 राजस्थान पेंशनर समाज विश्राम घर उप शाखा समदड़ी के पक्ष में राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1996 के नियम 158 के तहत मौजा समदड़ी में ग्राम पंचायत की आबादी भूमि का पट्टा संख्या 02 दिनांक 28.06.2023 को जारी किया गया। इस भूखण्ड का नाप एवं क्षेत्रफल पट्टा के संलग्न अनुसूची में वर्णित अनुसार 1350 वर्ग फीट दर्शाया गया है तथा पड़ौस बदिशा उतर में 33.75 फीट आम रास्ता व दरवाजा एल एन टी लाइन, बदिशा दक्षिण में 33.75 फीट व ग्राम पंचायत भूमि, पूर्व में 40 फीट व 15 फुट चौड़ा रास्ता व दरवाजा एवं पश्चिम में 40 फीट व ग्राम पंचायत भूमि आया हुआ है। उक्त पट्टे को जारी करने में राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1996 के प्रावधानों की पालना नहीं किये जाने से उक्त पट्टे की सत्यता, अवैधानिकता, अनियमितता एवं अपूर्णता के पहलू की जांच करते हुए अपास्त करने हेतु यह निगरानी प्रार्थना पत्र प्रार्थी द्वारा इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

3. प्रार्थी की निगरानी दर्ज रजिस्टर होकर अप्रार्थीगण को जवाब एवं सुनवाई का अवसर प्रदान करने हेतु जरिये नोटिस तलब किया गया तथा अधीनस्थ

जिला कल. बालोतरा

न्यायालय ग्राम पंचायत समदडी से निगरानीधीन अभिलेख मंगवाया जाकर अवलोकन किया गया।

4. अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता द्वारा पेश जवाब में कथन किया कि निगरानी में खसरा नंबर 350 की भूमि गैर मुमकिन आबादी के तौर पर अवश्य आई हुई है, लेकिन राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र समदड़ी का भवन, सरकारी आवास इत्यादी ग्राम समदड़ी के नाम से खातेदारी खेत खसरा नंबर 705/2348 की भूमि में अवस्थि है, जो सरकार द्वारा चिकित्सालय हेतु आवंटित की गई थी। प्रार्थी द्वारा अपनी सरकारी एवं राजनैतिक पहुंच की वजह से आवंटित भूमि के हिस्से से अधिक भूमि पर गैर मुमकिन आबादी भूमि में बिना किसी माप चौक के दिवार निर्माण करवाया जाकर कब्जा कर दिया गया। अप्रार्थी संख्या 2 के हक में जारी पट्टा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र समदड़ी के नाम से आवंटित भूमि में जारी न होकर गैर मुमकिन आबादी खेत खसरा नंबर 350 में जारी होने से प्रश्नगत पट्टा नियमों के अंतर्गत पूर्ण रूप से वैध जारी किया गया है। राजस्थान सरकार राजस्व (ग्रुप–6) विभाग के पंत्रावक प. 14(1)राज6/2002/1 दिनांक 13.02.2002 को जारी परिपत्र में संस्थाओं को निःशुल्क भूमि आवंटन बाबत् (पेंशनरों के लिए विश्रामघर) करने का बताया गया है। उक्त परिपत्र अनुसार अप्रार्थी संख्या 1 ने अप्रार्थी 2 के पक्ष में जारी पट्टा विधिसम्मत रूप से जारी किया गया। इस प्रकार प्रार्थी ने तथ्यो के आधार पर वर्तमान निगरानी पेश की है, जो खारिज होने योग्य है।

5. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस यह कथन किया कि विवादित भूखण्ड मौजा समदड़ी स्टेशन जाने वाली रोड़ पर राजकीय अस्पताल सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र समदड़ी की भूमि खसरा संख्या 350 रकबा 3.4480 हैक्टेयर आई हुई है। उक्त खसरे में राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र समदड़ी का भवन व सरकारी आवास तथा डॉक्टर के सरकारी आवास व अस्पताल के कर्मचारियों के आवास, मौर्चरी व अन्य अस्पताल से संबंधित भवन निर्मित है तथा इसके चारों ओर सार्वजनिक स्वास्थ्य केन्द्र की चारदीवारी बनी हुई है। अप्रार्थी संख्या 2 व उनके सहयोगी द्वारा उक्त भूखण्ड के चारदीवारी के भीतर अवैध तौर से अतिक्रमण कर छीणे रोपकर पेंशनर समाज का बोर्ड लगाया गया, जिस पर प्रार्थी द्वारा दिनांक 13.05.2024 को उपखण्ड अधिकारी सिवाना के समक्ष एक प्रार्थना पत्र पेश किया गया। तहसीलदार समदड़ी द्वारा भू अभिलेख अधिकारी समदड़ी को दिनांक 14.05.2024 को मौके पर भेज कर जांच करवायी गई, जिसमें भू अभिलेख अधिकारी समदड़ी द्वारा मौका निरिक्षण कर अतिक्रमण की जांच की गई। जांच के दौरान पेंशनर समाज का सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र समदड़ी के चार दिवारी के भीतर अतिक्रमण स्वरूप अतिचार कर पेंशनर समाज के नाम लिखी छीणे रोपी होना पाया गया। तहसीलदार समदड़ी द्वारा उक्त अतिक्रमण हटाने हेतु कहा गया तो यह तथ्य जानकारी में आया कि पेंशनर समाज ने स्वास्थ्य केन्द्र समदड़ी की चार दीवारी भूमि में गलत तौर से पट्टा जारी करवा दिया, जबकि उक्त भूमि सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र समदड़ी की कब्जा सुदा भूमि है। उक्त भूमि पर पेंशनर समाज का कोई लेना देना नहीं है। पंचायत समिति की जांच रिपोर्ट में ग्राम पंचायत समदड़ी द्वारा पेंशनर समाज समदड़ी को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र समदड़ी की कब्जा सुदा चार दिवारी के भीतर आबादी भूमि में नियम 158 के तहत जारी पट्टा नियमानुसार नहीं है, बताया गया। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में

जिला कलक्टर
बालोतरा

आलोच्य पट्टा जारी करने में विधि एवं तथ्यों की भारी भूल की है, जिससे अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा जारी आलोच्य पट्टा अपास्त किये जाने योग्य है।

6. प्रार्थी के अधिवक्ता ने यह भी निवेदन किया कि अप्रार्थी संख्या 1 ने आलोच्य पट्टा पंचायती राज नियम की धारा 158 के तहत जारी होना बताया गया, जबकि धारा 158 पंचायती राज नियम उन्हीं व्यक्तियों के पक्ष में भूमि आवंटित की जाती है, जो अनुसुचित जाति, अनुसुचित जनजाति, पिछड़े वर्ग के सदस्यों, कारिगरों, भूमिहिन व्यक्तियों, श्रमिक व्यक्ति, गाडिया लौहार, विकलांग आदि के नाम ही उक्त अधिनियम के तहत पट्टा जारी किया सकता है। अप्रार्थी संख्या 2 उक्त श्रेणियों में से नहीं होने के बावजुद अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा आलोच्य पट्टा जारी किया गया। उक्त भूखण्ड जो कि खसरा नंबर 350 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र समदड़ी की कब्जा सुदा है। उक्त भूमि के चार दीवारी में संबंधित राजकीय अवास बने हुए है। उक्त कब्जासुदा भूमि पर अप्रार्थी संख्या 1 ग्राम पंचायत द्वारा उक्त भूमि का आवंटन करने का कोई अधिकार नहीं होते हुये भी अप्रार्थी संख्या 2 के नाम आलोच्य पट्टा जारी किया गया है। ग्राम पंचायत द्वारा जारी आलोच्य पट्टा संबंधित मूल पत्रावली में मौका रिपोर्ट जारी करना बताया गया, लेकिन उक्त पट्टा किस स्थान का, किस खसरें में, कितने नाप का एवं पड़ौस का अंकन नहीं किया गया है। साथ ही प्रपत्र 22 नियम 148 को जो नोटिस जारी किया गया है, जिस पर कोई तारीख का अंकन नहीं है और न ही पंचायत व सरपंच की मोहर है एवं नोटिस कहां चस्पा किया गया, किसके समक्ष चस्पा किया है व किसी के हस्ताक्षर अंकित नहीं है। इस प्रकार उक्त पटटा नियम 158 की अनदेखी कर जारी किया गया है, जो खारिज होने योग्य है।

7. अप्रार्थी संख्या 2 के अधिवक्ता ने दौराने बहस कथन किया कि उक्त निगरानी अप्रार्थी संख्या 2 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र समदड़ी जरिये प्रभारी प्रमुख विशेषज्ञ डॉक्टर शिवमंगल नागल पुत्र श्री लुणकरण नागल द्वारा पेश की गई है, जो वर्तमान में राजकीय सेवा से सेवानिवृत हो चुके है। निगरानी में खसरा नंबर 350 की भूमि गैर मुमकिन आबादी के तौर पर अवश्य आई हुई है, लेकिन राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र समदड़ी का भवन, सरकारी आवास इत्यादी ग्राम समदड़ी के नाम से खातेदारी खेत खसरा नंबर 705/2348 की भूमि में अवस्थि है, जो सरकार द्वारा चिकित्सालय हेतु आवंटित की गई थी। प्रार्थी द्वारा अपनी सरकारी एवं राजनैतिक पहुंच की वजह से आवंटित भूमि के हिस्से से अधिक भूमि पर गैर मुमकिन आबादी भूमि में बिना किसी माप चौक के दिवार निर्माण करवाया जाकर कब्जा कर दिया गया। अप्रार्थी संख्या 2 के हक में जारी पट्टा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र समदड़ी के नाम से आवंटित भूमि में जारी न होकर गैर मुमकिन आबादी खेत खसरा नंबर 350 में जारी होने से प्रश्नगत पट्टा नियमों के अंतर्गत पूर्ण रूप से वैध जारी किया गया है। राजस्थान सरकार राजस्व (ग्रुप–6) विभाग के पंत्रावक प.14(1)राज6/2002/1 दिनांक 13.02.2002 को जारी परिपत्र में संस्थाओं को निःशुल्क भूमि आवंटन बाबत् (पेंशनरों के लिए विश्रामघर) करने का बताया गया है। उक्त परिपत्र अनुसार अप्रार्थी संख्या 1 ने अप्रार्थी 2 के पक्ष में जारी पट्टा विधिसम्मत रूप से जारी किया गया। इस प्रकार प्रार्थी ने तथ्यो के आधार पर वर्तमान निगरानी पेश की है, जो खारिज होने योग्य है।

जिला कलक्टर
बालोतरा

8. हमने पत्रावली में उभय पक्षकारान के अधिवकतागण की बहस सुनी, बहस उपरांत पत्रावली का अवलोकन किया एवं मनन किया गया तथा अधिवक्ता द्वारा प्रकट तथ्यों एवं उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन करने पर पाया कि ग्राम पंचायत समदड़ी द्वारा मिसल संख्या 268 पर पंचायत की बैठक में फैसल दिनांक 23.05.2023 के अनुसरण में आलौच्य पट्टा सं. 2 दिनांक 28.06.2024 को अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में जारी किया गया है। इस संबंध में अधीनस्थ ग्राम पंचायत समदड़ी से उक्त पट्टे संबंधित मूल अभिलेख तलब किया गया, जिसमें मूल आलोच्य पट्टे पर मिसल संख्या 268/2023 अंकित होना पाया गया, लेकिन मूल पत्रावली में मिसल संख्या अंकित होना नहीं पाया गया। ग्राम पंचायत की आलोच्य पट्टे संबंधित आदेशिका में दायर दिनांक, मौका निरिक्षण दिनांक, पट्टा जारी दिनांक अंकित नहीं की गई है। अधीनस्थ ग्राम पंचायत द्वारा मौका रिपोर्ट, बयान फार्म, प्रपत्र संख्या 22, कब्जा रिपोर्ट एवं समस्त आदेशिका पर बन बनाया खाली प्रारूप प्रतिलिपि पर हस्ताक्षर करवारक आलोच्य पट्टा जारी किया गया है। उक्त आलोच्य पट्टा संख्या 2 दिनांक 28.06.2024 को जारी करने में अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1996 नियम 146, 147, 148 व 149 की किसी प्रकार की पालना नहीं की गई है, जैसे आलौच्य पट्टा जारी करने से सम्बन्धित तीन पंचो की कमेटी, आपत्ति नोटिस, नियमानुसार शुल्क जमा करने की रसीद, मौका निरीक्षण रिपोर्ट इत्यादि पूरी प्रक्रिया अपनाये जाने का हस्तगत प्रकरण में उक्त नियमों की पालना एवं साक्ष्य नहीं होने से संदिग्ध होना जाहिर होता है। अप्रार्थी संख्या 2 ने अपने स्वामित्व आधिपत्य का कोई ठोस साक्ष्य अधीनस्थ ग्राम पंचायत की पत्रावली में पेश नहीं किये गये है एवं कहीं पर भी अंकित नहीं है कि अप्रार्थी संख्या 2 का उक्त आलोच्य भूखण्ड पर कितने सालो से कब्जा है। इस प्रकार आलौच्य पट्टा विलेख से संबंधित ग्राम पंचायत के दस्तावेजों के अभाव एवं अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रकट तथ्यों से अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में ग्राम पंचायत समदड़ी द्वारा आलौच्य पट्टा संख्या 02 दिनांक 28.06.2024 को जारी किया गया है, वह बिना विधिक प्रक्रिया, दस्तावेजी सबूत एवं संदिग्ध प्रक्रिया द्वारा पारित किया गया है, जो काबिल खारिज योग्य हैं। इस प्रकार अधिनस्थ ग्राम पंचायत अप्रार्थी संख्या 1 ने राजस्थान पंचायतीराज नियमों में प्रावधित प्रावधानों के विपरित जाकर तथा अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर आलोच्य पटटा संख्या 2 दिनांक 28.06.2024 को जारी किया है, निरस्त अपास्त योग्य पाया जाता है।

9. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत निगरानी स्वीकार कर अप्रार्थी संख्या 1 सरपंच ग्राम पंचायत समदड़ी द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 राजस्थान पेंशनर समाज विश्राम घर के नाम जारी पटटा संख्या 02 दिनांक 28.06.2023 को जारी किया गया, को राजस्थान पंचायतीराज नियम के प्रावधित विधिक प्रावधानों के विपरित होने से एवं विधिसम्म्त नहीं होने से पट्टा निरस्त किया जाता है। अधिनस्थ ग्राम पंचायत का विलेख निर्णय की प्रति के साथ अविलम्ब प्रेषित हो।

10. निर्णय आज दिनांक 19.11.2024 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(सुशील कुमार यादव)
जिला कलक्टर, बालोतरा
जिला कलक्टर
बालोतरा